भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1161

28.07.2025 को उत्तर के लिए

एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

1161. श्री हैबी ईडन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के एर्नाकुलम में द्वीप समुदायों की विशिष्ट पर्यावरणीय और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी) के कार्यान्वयन का विचार है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उनके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) II वर्गीकरण के लिए एर्नाकुलम में 13 बहिष्कृत पंचायतों (अलंगद, चेंदमंगलम, चित्तट्टुकारा, एझिक्कारा, कडुंगल्लूर, करुमलूर, कोट्टुवल्ली, कुन्नुकारा, पुथेनवेलिक्कारा, उदयमपेरूर, बडक्केक्कारा, कुझिप्पिल्ली, पल्लीपुरम), उनकी नगरोचित विशेषताओं और उनके निवासियों की आवश्यक विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, का पुन: आकलन करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास निष्पक्ष विकास के अवसर और नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु एडवनक्कड जैसी पंचायतों, जिसकी विशेषताएं पड़ोसी सीआरजेड-II क्षेत्रों के समान हैं, के असंगत वर्गीकरण को समाप्त करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) इस मंत्रालय ने सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार दिनांक 16.10.2024 के पत्र द्वारा एर्नाकुलम, केरल सहित सभी तटीय जिलों के लिए तटीय ज़ोन प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) को अनुमोदित किया है। एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं (आईआईएमपी), सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाती हैं और राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अनुमोदित की जाती हैं। केरल सरकार को सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अनुसार आईआईएमपी संबंधी प्रस्ताव अभी प्रस्तुत करना है।

(ख) और (ग) केरल राज्य सरकार से कतिपय पंचायतों पर सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अनुसार 'विधिक रूप से नामोद्दिष्ट शहरी क्षेत्रों' के रूप में विचार करने के अनुरोध संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) की दिनांक 01.09.2022 को हुई बैठक, जिसमें केरल सरकार भी उपस्थित थी, में सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसरण में 'अन्य मौजूदा विधिक रूप से नामोद्दिष्ट शहरी क्षेत्रों' संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाली 66 पंचायतों की संस्तुति करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा केरल सरकार को दिनांक 07.09.2022 को सूचित किया गया था।

केरल सरकार को सूचित किया गया था कि वह प्रस्तावित क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी प्रकार की अवसंरचना संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगी और उपर्युक्त अनुसार 66 श्रेणी-I तटीय ग्राम पंचायतों से युक्त प्रस्तावित क्षेत्र के लिए विस्तृत आपदा प्रबंधन और उपशमन योजनाएं तैयार करेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उपर्युक्त 66 तटीय पंचायतों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सीआरज़ेड-II के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और उन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीआरज़ेड-IIIक या सीआरज़ेड-IIIख के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा ऐसे क्षेत्र संस्पर्शी प्रकृति के होंगे। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा केरल की सीजेडएमपी को, तकनीकी जांच समिति द्वारा दिनांक 01.03.2024 को हुई बैठक में की गई संस्तुति और एनसीजेडएमए द्वारा दिनांक 23.09.2024 को हुई अपनी 47वीं बैठक में की गई संस्तुति के आधार पर दिनांक 16.10.2024 के पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसके बाद से, इस मंत्रालय को सीआरजेड वर्गीकरण की श्रेणी-II में शेष पंचायतों को शामिल करने के लिए अभी तक और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****